कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्याः–एम0ई0–3/2020/951 लखनऊःदिनांकः– 09 .06.2020

ग्लोकल मेडिकल कालेज, सहारनपुर एवं जी0सी0आर0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के शैक्षणिक सत्र 2016–17 के माध्यम से अध्ययनरत् छात्रों निजी क्षेत्र अन्य मेडिकल कालेज में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना।

शासनादेश संख्याः–333/71–4–2020–7/2019, दिनांक 08.06.2020 के द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के दृष्टिगत शैक्षणिक सत्र 2016–17 में अध्ययनरत् ग्लोकल मेडिकल कालेज, सहारनपुर के 24 तथा जी0सी0आर0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के 96 वैध छात्रो का निजी क्षेत्र के अन्य किसी मेडिकल कालेजो में स्थानान्तरण/समायोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

अतः ग्लोकल मेडिकल कालेज, सहारनपुर एवं जी0सी0आर0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के समस्त छात्रो को सूचित किया जाता है कि अपने स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो में प्रवेश हेतु दिये गये विकल्प के आधार पर सम्बन्धित कालेजो में अपने समस्त मूल शैक्षणिक अभिलेखो/शुल्क के साथ प्रवेश हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।